न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा
(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 15/2019/अपील/आर्म्स एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 9.9.2019
अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

रामकरण आत्मज छीतरलाल जाति गुर्जर निवासी रघुनाथपुरा पुलिस थाना देईखेडा तह0 इन्द्रगढ जिला बूंदी।
...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, बूंदी ।
... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री रमकांत लोहिया अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 6.1.2020

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश क्रमांक/324 दिनांक 20.6..2019 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 536/73 बन्दूक सं0 94665 डी0बी0बी0एल0 को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने पर नवीनीकरण के संबध मे जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा रिपोर्ट सं0 1797 दिनांक 7.3.2019 अनुसार अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण सं0 69/18 धारा 149,447,427,420,467,468,471,120–बी आईपीसी मे दर्ज होकर अनुसंधानरत होने से आवेदक को स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण अनुसंधानरत होने से शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाना लोक शांति एंव कानून व्यवस्था की दृष्टि से उचित प्रतीत नही होने से जेरअपील आदेश क्रमांक 324 दिनांक 20.6.2019 से तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण चतरा उर्फ चतुर्भुज द्वारा आव मे जमीन के संबध मे विवाद के चलते झूंठा दर्ज कराया था जिसमे अंतिम रिपोर्ट 5/2019 दिनांक 12.5.2019 न्यायालय मे पेश की करदी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया ना ही नोटिस दिया पूर्व मे कभी कोई फौजदारी प्रकरण दर्ज नही हुआ ना ही कोई शांति भंग होने संबधी प्रकरण है। अपीलांट वृद्ध व्यक्ति है तथा जमीन जायदाद की रक्षा के लिये लाईसेन्स की आवश्यकता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे तथा शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के आदेश प्रदान किये जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पुलिस रिपोर्ट मे दर्ज प्रकरण सं0 69/18 जमीन विवाद के चलते झूंठा दर्ज कराया गया था। उक्त प्रकरण मे न्यायालय एमजेएम मे एफ.आर. सं0 5/19 पेश करदी है। अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है तथा ना ही शांति भंग करने संबधी कोई आरोप है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये एक पक्षीय रूप से जेरअपील

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश निरस्त किया जाकर शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण का आदेश प्रदान किया जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे प्रकट किया कि जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट सं0 1797 दिनांक 7.3.2019 अनुसार अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण सं0 69/18 धारा 149,447,427,420,467,468,471,120–बी आईपीसी मे दर्ज होकर अनुसंधानरत होने से अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक को स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञापत्र को निलम्बित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश अंतिम निर्णय न होकर अंतरिम आदेश है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी द्वारा अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 536/73 बन्दूक सं0 94665 डी0बी0बी0एल0 को जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट सं0 1797 दिनांक 7.3.2019 अनुसार अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण सं0 69/18 धारा 149,447,427,420,467,468,471,120–बी आईपीसी मे दर्ज होकर अनुसंधानरत होने से आवेदक को स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञापत्र को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण नही कर जेरअपील आदेश दिनांक 324 दिनांक 20.6.2019 से निलम्बित किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य कथन है कि प्रकरण सं0 69/18 जमीन विवाद के चलते झूंठा दर्ज कराया गया था। उक्त प्रकरण मे न्यायालय एमजेएम मे एफ.आर. सं0 5/19 पेश करदी है। अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है तथा ना ही शांति भंग करने संबधी कोई आरोप है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये एक पक्षीय रूप से जेरअपील निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी के तर्क के संबध मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत अपील प्रकरण मे आपराधिक प्रकरण दर्ज होना स्वीकारात्मक तथ्य है। अपील मे अपीलार्थी ने स्वयं 78 वर्ष का वृद्ध होना वर्णित किया है अतः इस उम्र मे शस्त्र संचालन का औचित्य भी प्रतीत नही होता ना ही कोई संद्भाविक आवश्यकता होना अपीलांट ने प्रकट की है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील आदेश उचित प्रतीत होता है। परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 6.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(एल. एन. सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा